

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास, (सवाई माधोपुर)
जिला - सवाई माधोपुर
जाति प्रमाण - पत्र



क्र. RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /17051146132
दिनांक: 14-08-2017
आवेदक का आधार नम्बर: 956394812008
आवेदक/परिवार के मुखिया का भाषासाहू कार्ड संख्या: 9999-L433-00030

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चिनकेश पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रामभजन मीना गांव/नगर 38, महारावण्ड, महारावण्ड, साचोली, बामनवास, सवाई माधोपुर जिला/डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधियां (संशोधन) आदेश 1958, अन्वई पुनर्गठन अधिनियम 1960, बंनार पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अन्व व शमीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंठमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (वागानेठ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री चिनकेश गांव/नगर 38, महारावण्ड, महारावण्ड, साचोली, बामनवास, सवाई माधोपुर जिला / डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वहीं होगा जो जब प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीका विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एफ.जे.ई./कम्प्यू./ई.सी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिसे के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। आत सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 170052872068

उपखण्ड अधिकारी, बामनवास, (सवाई माधोपुर)

Signature valid

Digitally signed by MEENA
RAM KISHOR
Date: 2017.08.14 15:46:31
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



170052872068